[2014] 9 एस.सी.आर. 64

मेट्रो निर्यातक प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य एंड

(सिविल अपील संख्या 4807/2014)

अप्रैल 23,2014

[के.एस. राधाकृष्णन और विक्रमजीत सेन, जे.जे.]

बैंक/बैंकिंग - अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग - निर्यात-आयात लेन-देन के सम्बन्ध में धन का हस्तांतरण - खाता प्रविष्टि का प्रत्यावर्तन – चुनौती – अपीलार्थी-निर्यातक भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखा के साथ बैंकिंग करता था – अपीलार्थी सीधे माल का निर्यात करता था और भारतीय स्टेट बैंक को दस्तावेज जमा करता था और यह भुगतान का दावा करने के लिए बैंक पर था – 2006 में अपीलार्थी-निर्यातक के ईईएफसी खाते में क्रेडिट प्रविष्टिकी गई – ढाई साल बाद, भारतीय स्टेट बैंक, विदेशी शाखा, मुंबई ने अपीलार्थी-निर्यातक के ईईएफसी खाते से राशि इस आधार पर काट ली कि यह अपीलार्थी के खाते में गलत तरीके से जमा हो गई थी – औचित्य – अभिनिर्धारितः तथ्यों पर, न्यायोचित नहीं – अनुबंध अधिनियम की धारा 72 के अनुसार, बैंक को किसी गलती के तहत भुगतान की गई धन की वसूली का अधिकार है - तत्काल मामले में, हालांकि, आयातक ने पहले ही

भुगतान कर दिया था और एसबीआई, विदेश विभाग ने एसबीआई, विदेशी शाखा, मुंबई के बजाए बैंक ऑफ़ इंडिया को प्रेषण सलाह के साथ नोस्ट्रो खाते में राशि प्राप्त की थी - अपीलार्थी को एसबीआई द्वारा निर्यात संग्रह सलाह के बारे में भी सूचित किया गया था और अपीलार्थी को राशी प्राप्त हुई थी – बैंक ने गलती की होगी, लेकिन अब अपीलार्थी के लिए आयातक से राशी वसूल करना असंभव होगा, क्योंकि जहाँ तक आयातक का सवाल है, उसने पहले ही राशी का भुगतान कर दिया था - यदि एसबीआई, विदेशी शाखा ने राशि का क्रेडिट नहीं दिया होता, तो, अपीलार्थी जल्द से जल्द आयातक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था - बैंक द्वारा की गई गलती के लिए, अपीलार्थी को परेशानी नहीं उठानी चाहिए - अनुबंध अधिनियम, 1872-धारा 72।

बैंक/बैंकिंग - अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग - धन अंतरण - भुगतान हस्तांतरण के सन्देश -स्विफ्ट संदेश – नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते - चर्चा की गई।

अपीलार्थी-निर्यातक ने इस्पात कुंडलियों का निर्यात किया था और भारतीय स्टेट बैंक, ओवरसीज शाखा, मुंबई द्वारा उठाए गए क्रेडिट सलाह के आधार पर चालान के खिलाफ आंशिक भुगतान प्राप्त किया था। अपीलकर्ता को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 199,959.74 अमेरिकी डॉलर के निर्यात संग्रह भुगतान सलाह के बारे में सूचित किया गया था। ढाई साल बाद, भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई ने अपीलकर्ता को एक पत्र भेजा, जिसमें अपीलकर्ता के

ईईएफसी खाते में यूएस $ 199,959.74 की उपरोक्त क्रेडिट प्रविष्टि के संदर्भ में बताया गया कि बैंक द्वारा गलती से एसबीएल के नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट भेज दिया गया था। अमेरिका की और एसबीआई ने अपीलकर्ता के ईईएफसी खाते (संशोधन लंबित) पर एक ग्रहणाधिकार चिह्नित किया था। पत्राचार के आदान-प्रदान के बाद, बैंक ने ग्रहणाधिकार हटा लिया और अपीलकर्ता के ईईएफसी खाते से 94,56,094/- रुपये की राशि डेबिट कर ली।

तत्काल अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि बैंक के पास अपीलार्थी के बैंक खाते में जमा होने के बाद कानूनी प्रविष्टि को उलटने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था और किसी भी दृष्टिकोण से, अपीलार्थी के सहमति प्राप्त किए बिना प्रविष्टि को उलट नहीं किया जाना चाहिए था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी-बैंक ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन राशि विशेष रूप से बैंक की थी, जो गलती से अपीलार्थी के खाते में जमा हो गई थी और इसलिए उसे अपीलार्थी के खाते से डेबिट करके पुनर्प्राप्त किया जा सकता था जो सदभाविक रूप से की गई एक सामान्य बैंक प्रथा है।

इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या भारतीय स्टेट बैंक ने लम्बे समय के अन्तराल के बाद अपीलार्थी के खाते से इस आधार पर डेबिट करने में यह आधार बनाते हुए सही था कि राशि गलत तरीके से अपीलार्थी के खाते में जमा की गई थी।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1.1. एक अंतरराष्ट्रीय निधि हस्तांतरण या तो भुगतान करने वाले या प्राप्तकर्ता का बैंक, या दोनों बैंक के साथ होता है, जो स्थानांतरण की मुद्रा के अलावा किसी अन्य देश में स्थित होते हैं। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निधि अंतरण क्रेडिट अंतरण होते हैं और वे घरेलू क्रेडिट हस्तांतरण के समान काम करते हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट हस्तांतरण में आम तौर पर संवाददाता (मध्यस्थ) बैंकों का अधिक उपयोग शामिल होता है। इसके अलावा, एक घरेलू क्रेडिट हस्तांतरण के विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय निधि हस्तांतरण एक से अधिक कानूनों के अधीन हो सकते हैं। हस्तांतरण में प्रत्येक खाता संबंध -उदाहरण के लिए, भुगतानकर्ता और उसके अपने बैंक के बीच के रूप में, भुगतान करने वाले का बैंक और एक संवाददाता बैंक, संवाददाता और प्राप्तकर्ता का बैंक और प्राप्तकर्ता का बैंक और प्राप्तकर्ता अपने स्वयं के लागू कानून के अधीन हो सकते हैं, जो प्रत्येक मामले में भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच अंतर्निहित दायित्व को नियंत्रित करने वाले कानूनसे भिन्न हो सकता है। [पैरा 19] [85-सी-डी]

1.2. अंतर्राष्ट्रीय निधि अंतरण में, प्रत्येक भुगतान संदेश, चाहे वह भुगतानकर्ता और उसके बैंक के बीच हो, प्राप्तकर्ता और उसका बैंक, या स्वयं बैंक, हो सकता है, मौखिक रूप से, लिखित रूप में या संचार

माध्यमों से संप्रेषित किया जाता है। अतीत में, विदेश या सीमा पार अंतर-बैंक भुगतान संदेश एयरमेल, टेलीग्राम या टेलेक्स द्वारा भेजे जाते थे, जबकि अब अधिकांश बैंक स्विफ्ट द्वारा संचालित दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके अपने विदेशी, या सीमा पार समकक्षों के साथ संवाद करते हैं। स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन), वर्ष 1973 में स्थापित, बेल्जियम कानून के तहत आयोजित एक गैर-लाभ कमाने वाली सहकारी समिति है जो जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। स्विफ्ट एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संदेश प्रणाली का संचालन करता है जो भुगतान निर्देश और संबंधित संदेश को सक्षम बनाती है, जिसमे विवरण, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाज़ार पुष्टिकरण, संग्रह शामिल है। इसलिए, स्विफ्ट, प्रासंगिक भुगतान संदेशों के हस्तांतरण से संबंधित है। [पैरा 13,20] [85-जी; 77-डी-ई]

1.3. अंतर्राष्ट्रीय निधि अंतरण या तो ऑनशोर या ऑफशोर हो सकता है। स्थानांतरण ऑनशोर होगा जहां या तो भुगतानकर्ता का बैंक या भुगतानकर्ता का बैंक हस्तांतरण की मुद्रा के देश में स्थित है और ऑफशोर जहां कोई भी बैंक हस्तांतरण की मुद्रा के देश में स्थित नहीं है। [sपैरा 21] [85-जी]

1.4. एसबीआई विदेश विभाग, कोलकाता वैश्विक व्यापार के लेन-देन के लिए विभिन्न विदेशी बैंकों के साथ कई नोस्ट्रो खाते रखता है। नोस्ट्रो

खाता एक विदेशी खाता है जो किसी घरेलू बैंक द्वारा विदेशी बैंक में या बैंक की अपनी विदेशी शाखा में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका, न्यूयार्क में रखे गए खाते, बैंक ऑफ़ अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक का नोस्ट्रो खाता है। तत्काल मामले में एसबीआई, एफडी, कोलकाता ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ एक नोस्ट्रो खाता खोला है, एक खाता जो एक बैंक के लिए नोस्ट्रो है और दूसरे के लिए वोस्ट्रो है। तो जब, भारतीय स्टेट बैंक, एफडी, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ एक नोस्ट्रो खाता खोलता है, तो यह भारतीय स्टेट बैंक के लिए वोस्ट्रो है और बैंक ऑफ अमेरिका के लिए नोस्ट्रो है। [पैराज 22,23] [86-ए-सी]

ए.के. गुप्ता और संस लिमिटेड बनाम दामोदर वैली निगम एआईआर 1967 96; 1966 एससीआर 796; एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड और अन्य (2004) 3 एससीसी 553 और श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1984) 3 एससीसी 362: 1984 (3) एससीआर 180-उद्धृत।

पेजेट्स लॉ ऑफ बैंकिंग, बारहवाँ संस्करण, पेज 304 और लॉ ऑफ़ बैंक पेमेंट्स -तीसरा संस्करण। (माइकल ब्रिंडल रेमंड कॉक्स) स्वीट एंड मैक्सवेल, 2004-संदर्भित।

2.1. अपीलार्थी अब्दुल जफर गुलाम (आयातक) को माल का निर्यात करता था और कई वर्षों तक बैंक ऑफ इंडिया की विदेशी शाखा में बैंकिंग करता था। अपीलार्थी सीधे माल का निर्यात करता था और भारतीय स्टेट बैंक को दस्तावेज प्रस्तुत करता था और यह बैंक के लिए था कि भुगतान का दावा करे और निर्यात लाभ का दावा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को लेनदेन की रिपोर्ट करें। तत्काल मामले में, एसबीआई, एफडी, कोलकाता के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि 25.8.2006 को, अपीलकर्ता ने एक चालान संख्या एमवी/028/08/2006 जारी किया था और माल को सीधे मोज़ाम्बिक, नाइजीरिया में आयातक को भेज दिया था और बाद में भारतीय स्टेट बैंक ओवरसीज शाखा, मुंबई के साथ दस्तावेज़ दर्ज कराया था। अपीलकर्ता ने 2.11.2006 को "स्मार्ट स्क्रीन रिकॉन्सिलेशन" ((एसबीआई बैंक ऑफ अमेरिका से प्राप्त एसएसआर सॉफ्टवेयर/स्विफ्ट मैसेज में क्रेडिट प्रविष्टि की पेशकश करता था, जो समय-समय पर स्टेट बैंक के विदेश विभाग, कोलकाता द्वारा उनके साथ रखे गए विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग वाले नोस्ट्रो खातों में राशि जमा करता था) में मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (अपीलकर्ता) के नाम पर 199,959.74 अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट देखने के लिए एसबीआई ओवरसीज शाखा, मुंबई को निर्यात बिल की एक प्रति जमा की और सद्भावनापूर्वक उपरोक्त उल्लिखित राशि उसी तारीख यानी 2.11.2006 को अपीलकर्ता के खाते में जमा कर दी गई। [पैरा 25] [88-डी-जी]

2.2. एसबीआई विदेश विभाग, कोलकाता को प्रेषण सलाह के साथ बैंक ऑफ़ अमेरिका के नोस्त्रो खाते में 199,959.74 अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा धन का वास्तविक हस्तांतरण की सलाह देने वाला त्वरित संदेश सही रूप से "बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई", बजाये "स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, मुंबई" के। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने बयानों में क्रेडिट की सही जानकारी दी थी, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखने में गलती या तो बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशनल बैंक, लंदन, एएल ज़ारून एक्सचेंज के अंत में या फिर आयातक के स्तर पर हुई होगी, लेकिन, निश्चित रूप से, एसबीआई, एफडी, कोलकत्ता या एसबीआई, मुंबई के अंत में नहीं। बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंक ऑफ़ अमेरिका और एसबीआई, एफडी, कोलकत्ता को को सूचित किया था कि उनके पास अपीलार्थी के नाम पर कोई खाता नहीं है। परिणामस्वरूप, बैंक ऑफ़ अमेरिका ने 9.11.2006 को निधि वापस ले लिया और 13.11.2006 को भारतीय state बैंक के नोस्त्रो खाते से उक्त राशी वसूल कर ली । चूंकि नॉस्ट्रो खाता एसबीआई, एफडी, कोलकाता द्वारा कानूनी रूप से बैंक ऑफ अमेरिका के साथ खाता संख्या 006550692214 पर रखा गया है, इसलिए एसबीआई, एफडी, कोलकाता के पास बैंक ऑफ अमेरिका को धनराशि लौटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने धनराशि वापस ले ली थी क्योंकि वह प्रेषक था। [पैरा 26] [88-एच; 89-ए-डी]

2.3. हालांकि, एसबीआई की विदेशी शाखा, मुंबई ने एक गलती की जब अपीलार्थी ने उसे निर्यात बिलों की प्रतियाँ जमा कर दी थी। एसबीआई की विदेशी शाखा, मुंबई, ने “स्मार्ट स्क्रीन रिकॉन्सिलेशन" (एसएएसआर सॉफ्टवेयर मुंबई) में मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (अपीलकर्ता) के नाम पर 199,959.74 अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट देखने के बाद, स्पष्ट रूप से सद्भावना में उक्त राशि को मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में जमा कर दिया, जो बैंक ऑफ इंडिया के लिए थी। बैंक ऑफ इंडिया का मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर कोई खाता नहीं था, इसलिए उस बैंक ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक को भी सूचित किया था। नतीजतन, बैंक ऑफ अमेरिका ने 9.11.2006 को धनराशी वापस ले ली थी और 13.11.2006 को बैंक ऑफ अमेरिका के लिए बनाये गए भारतीय स्टेट बैंक के नोस्ट्रो खाते से उक्त राशी की वसूली की गई। दूसरे शब्दों में, 199,959.74 अमेरिकी डॉलर की राशि कभी भी, कोलकाता या मुंबई में, किसी भी समय भारतीय स्टेट बैंक के खाते में नहीं आई थी। यह राशी बैंक ऑफ़ अमेरिका द्वारा बैंक ऑफ़ अमेरिका के लिए बनाये गए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के नेस्ट्रो खाते में जमा की गई और और यह कि बैंक ऑफ अमेरिका ने यह राशि "बैंक ऑफ इंडिया ए/सी मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड" के खाते में जमा की थी, न कि एसबीआई, एफडी, कोलकाता या मुंबई के खाते में। निस्संदेह, एसबीआई ओवरसीज

शाखा, मुंबई ने अपीलकर्ता के खाते में राशि जमा करने में गलती की होगी। यह सच हो सकता है कि एसबीआई विदेशी शाखा, मुंबई या एसबीआई विदेश विभाग, कोलकाता का 199,959.74 अमेरिकी डॉलर पर कोई नियंत्रण नहीं था, जो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए एसबीआई, एफडी, कोलकाता द्वारा बनाए गए नोस्ट्रो खाते में पड़ा था। [पैरा 27] [89-ई-एच; 90-ए-सी]

3. बेशक, बैंक को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 72 के अनुसार गलती के तहत भुगतान किए गए धन की वसूली करने का अधिकार है। तथ्य, इस मामले में, हालांकि स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं, जहाँ तक आयातक का संबंध है, वह पहले से ही राशि का भुगतान कर चुका था और एसबीआई, विदेश विभाग, कोलकाता को बैंक ऑफ इंडिया को प्रेषण सलाह के साथ बैंक ऑफ अमेरिका के नोस्ट्रो खाते में एसबीआई के बजाय, विदेशी शाखा, मुंबई में राशि प्राप्त की थी। अपीलार्थी को 2.12.2006 को एसबीआई द्वारा 199,959.74 अमेरिकी डॉलर के लिए निर्यात संग्रह की सलाह के बारे में भी सूचित किया गया और अपीलार्थी को राशी प्राप्त हुई। हो सकता है कि बैंक ने गलती की हो, लेकिन अब अपीलार्थी के लिए आयातक से राशि वसूली करना असंभव होगा, क्योंकि जहाँ तक आयातक का संबंध है, उसने राशि का भुगतान किया था। यदि एसबीआई, विदेशी शाखा ने राशि का क्रेडिट नहीं दिया होता, तो, अपीलार्थी जल्द से जल्द अवसर पर आयातक के खिलाफ आगे बढ़ सकता था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी को बैंक द्वारा की गई गलती

के लिए भुगतना चाहिए, जिसका उत्तर नकारात्मक है। [पैराज 28,32] [90-डी; 92-सी-एफ]

जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड बनाम अत्तार-उल-निसा और अन्य, एआईआर 1967 एससी 540: 1967 एससीआर 792 और थॉमस अब्राहम और छह अन्य बनाम राष्ट्रीय टायर और रबर कंपनी, कोट्टायम (1973) 3 एससीसी 458-संदर्भित।

यूनाइटेड ओवरसीज बैंक बनाम जिवानी (1977) 1 आआईआई ईआर 733; आर.ई.जोन्स लिमिटेड बनाम वारिंग एंड गिलो लिमिटेड (1926) एसी 670 और केली बनाम सोलारी (1841) 9 मेगावाट 54-- संदर्भित।

4. उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है और रिट याचिका में जिन राहतों के लिए अनुरोध किया गया है, वे अपीलार्थी को दिए जाते हैं। बैंक को एक महीने के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, यह एसबीआई के लिए खुला है कि वह बैंक ऑफ़ अमेरिका या बैंक ऑफ़ इंडिया या किसी अन्य संस्था के साथ मामले का पालन करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग कर सकता है, जो कि विषय धन का नियंत्रण प्राप्त कर रहा है और यदि राशी अभी भी उपलब्ध है, तो राशी की वसूली कर सकता है। जिसके लिए, निश्चित रूप से, अपीलार्थी कोई आपत्ति नहीं उठा सकता है। [पैरा 33] [92-जी-एच; 93-ए]

मामला कानून संदर्भः

1966 एससीआर 796	उद्धृत किया गया	पैरा 4
(2004) 3 एस. सी. सी. 553	उद्धृत किया गया	पैरा 4
1984 (3) एससीआर 180	उद्धृत किया गया	पैरा 4
1967 एससीआर 792	संदर्भित किया गया है	पैरा 29
(1977) 1 सभी ईआर 733	संदर्भित किया गया है	पैरा 30
(1926) एसी 670	संदर्भित किया गया है	पैरा 30
(1973) 3 एससीसी 458।	संदर्भित किया गया है	पैरा 30

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4807/2014

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 2202/2009 में निर्णय और आदेश दिनांक 16.07.2010 से उत्पन्न।

दुष्यंत दवे, भारत संगल, सनाया दादाचंजी, सौम्या अग्रवाल, आई. अबेन्ला ऐयर, अपीलार्थियों की ओर से।

जे. पी. कामा, संजय कपूर, अनमोल चंदन, एस. आर. पटोदिया, दुआ एसोसिएट्स, प्रतिवादियों के ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

के.एस. राधाकृष्णन, न्यायाधिपति

1. अवकाश अनुदत्त की गई।

2. इस मामले में, हम इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या भारतीय स्टेट बैंक, विदेशी शाखा, मुंबई ने अपीलकर्ता के ईईएफसी खाता यूरो नंबर 10937619705 पर लंबे समय के बाद €136,027.03 की राशि डेबिट करने में सही है। यह आधार कि यह अपीलकर्ता के खाते में गलत तरीके से जमा किया गया था और अपीलकर्ता को सिविल कार्यवाही के माध्यम से राशि की वसूली करने के लिए प्रेरित किया गया।

3. अनुच्छेद 226 के तहत अपीलकर्ता द्वारा बैंक की कार्रवाई को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह एक विवाद है जो पार्टियों के बीच एक संविदात्मक संबंध से उत्पन्न हुआ है और इसलिए इसके लिए उचित उपाय है। अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक सिविल मुकदमे के माध्यम से था, न कि एक रिट याचिका के माध्यम से। इससे व्यथित होकर विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. श्री दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित, ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर में एक गंभीर त्रुटि की है कि अपीलार्थी के लिए उपलब्ध उपाय सिविल न्यायालय में जाना है क्योंकि विवाद संविदात्मक प्रकृति का है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूँकि भारतीय स्टेट बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत राज्य है, अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका विचारणीय है और अपीलकर्ता के खाते में इसे जमा करने के बाद बैंक के पास कानूनी प्रविष्टि को उलटने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, किसी भी दृष्टिकोण से, अपीलार्थी की सहमति प्राप्त किए बिना, प्रविष्टि को उल्टा नहीं जाना चाहिए थी। अपने तर्क के समर्थन में ए. के. गुप्ता एंड संस लिमिटेड बनाम दामोदर घाटी निगम एआईआर 1967 96 में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि रिट याचिका पूरी तरह से बनाए रखने योग्य है और एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य (2004) 3 एससीसी 553 और श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1984) 3 एससीसी 362 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया ।

5. प्रतिवादी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.पी.गामा ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनके कारण बैंक को

प्रविष्टि पलटनी पड़ी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खाते में जमा की गई राशि उसकी नहीं है, बल्कि वह राशि विशेष रूप से बैंक की है, जो गलती से अपीलकर्ता के खाते में जमा हो गई थी, और इसलिए उसके खाते से डेबिट करके इसे वापस प्राप्त किया जा सकता है, जो एक सामान्य बैंकिंग प्रथा है। और सदभाविक रूप से किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि केवल जब बैंक कोई ऐसी राशि डेबिट करता है जो विशेष रूप से खाताधारक की होती है, तभी बैंक को खाताधारक की सहमति की आवश्यकता होती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खाते में जमा राशि पर बैंक का ग्रहणाधिकार था और यह वह राशि है जिसे अपीलकर्ता के खाते से डेबिट किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, किसी भी दृष्टि से, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित है कि यदि अपीलकर्ता को कोई शिकायत है, तो उसका समाधान केवल नियमित सिविल वाद के माध्यम से किया जा सकता है, न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से।

<u>तथ्य</u>

6. अपीलार्थी, अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान, अगस्त 2006 में मोजाम्बिक के नकाला (संक्षेप में 'आयातक') में मैसर्स अब्दुल जफर गुलाम को स्टील कॉइल का निर्यात किया गया और दिनांक

25.8.2006 को 581,841.65 अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए आयातक पर चालान संख्या एमवी/02808/2006 जारी किया। अपीलार्थी को समय-समय पर एसबीआई ओवरसीज शाखा, मुंबई द्वारा दी गई क्रेडिट सलाह के आधार पर, 18.10.2006, 20.10.2006, 08.11.2006 और 17.11.2006 को उपर्युक्त चालान के संबंध में आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ। 02.11.2006 पर अपीलार्थी को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 199,959.74 अमेरिकी डॉलर के निर्यात संग्रह भुगतान सलाह के बारे में सूचित किया गया था।

7. अपीलार्थी ने कहा कि ढाई साल बाद 07.03.2009 को भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई ने अपीलार्थी को 199,959.74 अमेरिकी डॉलर दिनांक 02.11.2006 को अपीलार्थी के ईसीएफसी खाते में क्रेडिट प्रविष्टि के संदर्भ में एक पत्र भेजा और सलाह दी कि क्रेडिट गलती से बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा इसे एसबीआई के नोस्ट्रो खाते में भेज दिया गया और एसबीआई ने अपीलकर्ता के ईईएफसी खाते पर ग्रहणाधिकार अंकित कर दिया था (संशोधन लंबित है)। इस पहलु पर पक्षकारों के बीच कुछ पत्राचार और बैठकें हुईं। बाद में, अपीलकर्ता को 22.10.2009 को एसबीआई से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अपीलकर्ता को कुछ दिनों के भीतर 199,959.74 अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट बहाल करने के लिए कहा गया। ऐसा न होने पर अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि वे आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। बाद में, अपीलार्थी को बैंक से दिनांक 28.10.2009 का एक पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसमे क्रेडिट की तारिख से 48,18,149 रुपये के पुनर्भुगतान की तारिख

तक 18 प्रति वर्ष की दर से अतिदेय ब्याज के साथ 199,959.74 अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट बहाल करने का आग्रह किया गया। बाद में 29.10.2009 को बैंक ने ग्रहणाधिकार हटा लिया और अपीलार्थी के ईईएफसी खाते (यूरो संख्या 10937619705) से 94,56,094/- रुपये की राशि डेबिट कर लिया।

8. हमने रिट याचिका के साथ-साथ पक्षों द्वारा दायर विभिन्न हलफनामों का अध्ययन किया है, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा दायर जवाबी हलफनामा और 22.2.2012 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद प्रस्तुत मुख्य परिचालन अधिकारी की रिपोर्ट भी शामिल है। जो तथ्य सामने आया वह यह है कि अपीलकर्ता का भारतीय स्टेट बैंक, कफ परेड शाखा, मुंबई में चालू विदेशी खाता था। अगस्त 2006 में इसने मोज़ाम्बिक में आयातक को स्टील कॉइल्स का निर्यात किया। निर्यात दस्तावेज़ एसबीआई के माध्यम से नहीं भेजे गए थे और एसबीआई न तो संग्रहकर्ता बैंक था और न ही बिलों की छूट एसबीएल, मुंबई से की गई थी। विदेशी शाखा, कफ परेड में किसी भी विदेशी प्रेषण में लाभार्थी के नाम के अलावा उक्त शाखा कोड होगा जो 047991 है।

9. एसबीआई, विदेश विभाग, कोलकाता (एसबीआई, एफडी, कोलकाता) वैश्विक निर्यातकों के लिए व्यापार लेनदेन के लिए विभिन्न विदेशी बैंकों के साथ कई नोस्ट्रो खाते रखता है, जिसमें बड़ी संख्या में डेबिट और क्रेडिट लेनदेन होते हैं। एसबीआई, एफडी, कोलकाता को

02.11.2006 को अपीलार्थी के खाते "बैंक ऑफ इंडिया, विदेशी शाखा, मुंबई" के पक्ष में बैंक ऑफ़ अमेरिका से प्रेषण सलाह प्राप्त हुई। एसबीआई, एफडी, कोलकाता ने बैंक ऑफ अमेरिका के निर्देश पर 03.11.2006 को बैंक ऑफ़ इंडिया को राशि भेज दी। बदले में, बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई, एफडी, कोलकाता को सूचित किया कि उनके पास मेट्रो एक्सपोर्टर (अपीलकर्ता) का कोई खाता नहीं है, जिसके बारे में बैंक ऑफ अमेरिका को सूचित किया गया था। बैंक ऑफ अमेरिका ने 09.11.2006 को धनराशि वापस ले ली और तदनुसार एसबीआई, एफडी, कोलकाता ने 13.11.2006 को बैंक ऑफ अमेरिका को राशि वापस कर दी।

10. वर्ष 2009 में एसबीआई विदेशी शाखा, मुंबई को एसबीआई, एफडी, कोलकाता के साथ अपने खाते का मिलान करते समय पता चला कि अपीलकर्ता के खाते में जो राशि जमा की गई थी, उसे बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 2006 में ही वापस ले लिया गया था, और इसलिए, राशि एसबीआई, एफडी, कोलकाता के पास उपलब्ध नहीं थी। एसबीआई, विदेशी, मुंबई ने 6.3.2009 को अपीलकर्ता के ईईएफसी खाते पर एक ग्रहणाधिकार चिह्नित किया। दूसरे शब्दों में, एसबीआई, कफ परेड शाखा ने बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा दी गई सलाह के विपरीत, अपीलकर्ता के ईईएफसी खाते में गलती से 199,959.74 अमेरिकी डॉलर की राशि जमा कर दी थी, जो एसबीआई, विदेशी शाखा, मुंबई द्वारा अपीलार्थी को भेजे गए दिनांक 07.03.2009 के पत्र में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जो निम्नानुसार है:

"स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

विदेशी शाखा, विश्व व्यापार केंद्र,

पोस्ट बॉक्स संख्या 16094, कफ परेड, मुंबई-400005

दूरभाषः 22189262 , 22189161 , फैक्सः 221844328 , 22188550

ईमेलः sbi04791@sbi.co.in

केबलः ओस्ब्रेन्डी-मुंबई, शाखा कोडः 4791

तिथि 07.03.2009

प्रबंध निदेशक,

मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्रा. लि.

132, काकड़ चैम्बर्स,

डॉ. एनी बेज़ेंट रोड,

वर्ली, मुंबई-400019

महोदय,

आपके ईईएफसी खाते में 1,99,959.74 अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट प्रविष्टि दिनांक 02.11.2006

हम आपके ईईएफसी खाते में जमा की गई उपरोक्त राशि का उल्लेख करते हैं और आपको सूचित करना होगा कि यह क्रेडिट गलती से बैंक ऑफ अमेरिका (बीओए) द्वारा हमें दे दिया गया था। उन्होंने हमारे

एफडी विभाग, कोलकाता से दावा किया था कि यह बैंक ऑफ इंडिया के लिए था, न कि हमारे नोस्त्रो खाते के लिए।

तदनुसार, हमारे एफडी विभाग, कोलकाता ने बीओए को उनके अनुरोध पर 13.11.2006 को राशि का पुनर्भुगतान कर दिया था। इसके कारण आपके ईईएफसी खाते में हमारे द्वारा जमा की गई राशि संबंधित क्रेडिट की समाप्ति पर असंतुलित रह गई।

चूंकि मामला पुराना है और हमें उपरोक्त बकाया नॉस्ट्रो असंगत प्रविष्टि को अपनी पुस्तकों में बंद करने की आवश्यकता है, हम अपने पुराने रिकॉर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया में हैं। इस बीच हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपने खाते में जमा की गई राशि का पूरा विवरण प्रस्तुत करें ताकि हम इस पर विचार कर सकें। हम आगे सलाह देते हैं कि हमने आज आपके ईईएफसी खाते को हमारी बकाया प्रविष्टि के सुधार के लिए ग्रहणाधिकार-चिह्नित कर दिया है।

आपकी वफादारी से,

एसडी/-

मुख्य संचालन अधिकारी"

11. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, एसबीआई, विदेशी शाखा, मुंबई, ने 29.10.2009 को ग्रहणाधिकार हटा लिया और 1.36 लाख यूरो का

डेबिट किया और अपीलार्थी से 94 लाख रुपये की वसूली की गई। हमें जांच करनी होगी कि क्या एसबीआई, विदेशी शाखा, मुंबई या यहाँ तक कि एसबीआई, एफडी, कोलकाता को आयातक द्वारा अपीलार्थी को भेजे गए एस.बी.आई. के खाते में कभी भी अमेरिकी डॉलर 199.959.74 प्राप्त हुए थे। बैंक का रुख यह है कि यह राशि कभी भी मुंबई या कोलकाता के एसबीआई के खाते में नहीं आई थी, बल्कि बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आई थी।

12. मुख्य मुद्दे से निपटने से पहले हमें सबसे पहले जाँच करनी होगी कि वास्तव में स्विफ्ट संदेश का क्या अर्थ है और नोस्ट्रो खाते से क्या मतलब है और क्या एसबीआई, एफडी, कोलकाता या एसबीआई, विदेशी शाखा, मुंबई का इस पर कोई नियंत्रण था। बैंक ऑफ़ अमेरिका के लिए एसबीआई, एफडी, कोलकाता द्वारा बनाए रखा गया नोस्ट्रो खाता जब बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा दी गई सलाह में "एसबीआई" के बजाए "बैंक ऑफ इंडिया ए/सी मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड" लिखा होता है। इस मामले में, आयातक ने अपीलार्थी के लिए 581.841.65 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था, लेकिन उक्त राशि का एक हिस्सा 199.959.74 अमेरिकी डॉलर एसबीआई, एफडी, कोलकाता द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका, न्यूयार्क के नोस्ट्रो खाते में बैंक ऑफ इंडिया को प्रेषण सलाह के साथ प्राप्त किया गया था।

स्विफ्टः

13. स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्यूनिकेशन), वर्ष 1973 में स्थापित, बेल्जियम कानून के तहत संगठित एक गैर-लाभकारी सहकारी समिति है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। स्विफ्ट एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संदेश प्रणाली संचालित करती है जो भुगतान निर्देश और संबंधित संदेशों को सक्षम बनाती है, जिसमे विवरण, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजार की पुष्टि, संग्रह शामिल हैं। इसलिए स्विफ्ट प्रासंगिक भुगतान संदेशों के हस्तांतरण से संबंधित है। (अधिक जानकारी के लिए, पेजेट’s लॉ ऑफ़ बैंकिंग देखें, बारहवाँ संस्करण, पृष्ठ 304)

14. बैंक ऑफ अमेरिका ने दिनांक 01.11.2006 को एसबीआई, विदेशी शाखा को एक इलेक्ट्रॉनिक स्विफ्ट संदेश भेजा, जो इस प्रकार है:

डब्ल्यूटीएक्स 0010

पेज 421857 फुलट्रान रिपोर्ट

11/01/06 का कार्य

रन 11/07/06 04:32

बैंक ऑफ अमेरिका-गोपनीय

<< एआईएक्स संस्करण 1.2>>

सिटीबैंक एन न्यू यॉर्क से प्राप्त

संदेसकः डीडीए #   ***सन्देश : परीक्षण नहीं किया गया***

टीआरएन आरईएफ # 20061101-00125666

*** संदेश कार्ड * * * (बैंकः एनवाईके)

एसआरसीः सीएचपी कॉलर   एसएनडी दिनांकः 06/11/01

आरपीटी #एएमटीः 199,959.74   सीयूआर.:यूएसडी टीआरडीआर#

परीक्षणः डीयूईः प्रकारः एफटीआर/निधिः एस सीएचजीः डीबीः एन सीडीः एन

कॉमः एक्स सीबीएल:एन

डीबीटी पी/0008 सीडीटी डी/00655069214   एडीवी : डब्ल्यूआईआर

डेबिट वैलः 06/11/01   क्रेडिट वेल: 06/11/01

डीई पी टी : आईडीएफएमटी   स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

सिटी बैंक   एन ए   डॉलर रिकांसिलियऐसन

19 फ्लोर

न्यू यॉर्क न्यू यॉर्क जीवन सुधा 42/सी,

जवाहर लाल नेहरू

कोलकाता

700071, भारत

एसएनडीआर आरईएफ एनयूएमः विशेष निर्देश

S0763050E5F401

आदेशित बैंकः एसी 655892218 आईएस फॉर आल

एस/एनबीपीएजीबी2 एल

यूनाइटेड नेशनल बैंक डेबिट एमटी103

2, रूक स्ट्रीट एंड रिलेटेड रिफंड ओनली

लन्दन, जीबी

ओरिजः बीएनएफ बैंकः एस/बीकेआईडीआईएनबीबीबीओएस डब्ल्यूआईआरः वाई

अल जरूनी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया

पी. ओ. बॉक्स 116348 (ओवरसीज शाखा)

अल सबखा स्ट्रीट मुंबई, इंडिया

दिएरा डीबीएआई (यूएई) बीएनएफः / सीएचजीः एस बीके?एन

मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

ओरिज टू बीएनएफ इन्फो:

बी/ओ अल ताव्फीर ट्रेडिंग

कम शुल्क

**** क्रेडिट पेमेंट मेसेज टेक्स्ट * * * *

मेसेज टेक्स्ट

गंतव्यः

डी/एसबीआईएनआईएनबीबीएफएक्सडी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

डॉलर रिकांसिलियएेसन, 19 फ्लोर

जीवन सुधा, 42/सी, जवाहरलाल नेहरू

कोलकाता 700071, इंडिया

आउटपुट समयः 12:29:32 आउटपुट अनुक्रम संख्याः 071446

इनपुटः

एस/बीओएफएयूएस 3

एन

बैंक ऑफ अमेरिका, एनए

न्यूयार्क-ब्रांच"

15. ऊपर उल्लिखित स्विफ्ट संदेश इंगित करेगा कि नोस्ट्रो खाता संख्या CDTD/00655069214 का रखरखाव बैंक ऑफ अमेरिका के लिए एसबीआई, एफडी, कोलकाता द्वारा किया गया था। बैंक ऑफ अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक स्विफ्ट सन्देश प्राप्त होने पर, एसबीआई, एफडी कोलकाता ने बैंक ऑफ़ इंडिया को राशि भेज दी क्योंकि यह बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा दी गई सलाह थी। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अशक्त स्विफ्ट सन्देश दिनांक 3.11.2006 के माध्यम से बैंक ऑफ़ अमेरिका को सूचित किया कि उसके पास 'मेट्रो एक्सपोर्टर्स (यहाँ अपीलार्थी) के नाम से कोई खाता नहीं है, उक्त संचार यहाँ निकाला गया हैः

"एमआईडी एम 061122-000689 वर्तमान सूची स्थिति रैटैक प्रकार

सीओएमआईएन

संलग्न आईआईडी 3105-03 एनओवी06 ज्ञापन बंद मामला

3105-03 एनओवी06

नेक्स्ट 22-नवंबर-06

पीसीआरएम 468819

क्यूक्यूपीसीआरएम

वीएफएफवी एमटीपीः 199 सीयूआर.: यूएसडी एएमटीः 199959.74 एसडब्ल्यूएफ-

एसडब्ल्यूएफ

सीआरएम

एसटीएक्स टीआरएनः डब्ल्यूटीएक्स/20061122-00064705 (01)

** प्रमाणित सन्देश * *

द्वाराः / एमआई-061122 बीकेआईडीआईएनबीबीएसीओएस 5378814423

बैंक ऑफ इंडिया

(ओवरसीज ब्रांच)

कोलकाता/कोलकाता, भारत

टीओः / एमओ-061122 बीओएफएयूएस 3 एनबीएक्सएक्सएक्स 5751696203

बैंक ऑफ अमेरिका एन.ए.

न्यूयार्क शाखा

न्यूयॉर्क, एनवाई 10048

(ग्राहक सेवा उपयोग केवल)

तारीखः 061.122

:: 199 ग्राहक का हस्तांतरण निःशुल्क प्रारूप

संदेश

:20 भेजने वाले का रेफ:4048/आरईएम/एएस/012

:21 संबंधित रेफ: बीओए 3105-03 एनओवी06

: 79 टेक्स्ट

रेफ योर एमटी-199 दिनांक 15.11.06 बीकेआईडीआईएनबीबीसीओएस को

एमटी-103 को रद्द करने के लिए दिनांक 01.11.06

यूएसडी199.959.74 आपके सदर्भ में 200611010012

मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में, हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि हम भुगतान को प्रभावित नहीं करते हैं और एमटी-103 का शून्य और बातिल के रूप में व्यव्हार नहीं करते हैं।

चूंकि इस संदेश का प्राप्तकर्ता हमारी मुंबई विदेशी शाखा थी, इसलिए हमने सभी मूल कागजात अंतिम निपटान के लिए उन्हें भेज दिए हैं। इसके साथ ही हम अपनी फाइल बंद कर देते हैं।

सादर

प्रेषण

एएमटीः 2006112200064705

_11220700

डब्ल्यूटीएक्स 2006112200064705-1

डब्ल्यूएक्सबी089841 11220405

|गेटवे\\आईआईडी.: 3105-03 नव. 06 \मेमोः एसडब्ल्यूएफ 199959.74

यूएसडी 19\

एमएसएनः 061122-001034\ एएमटीः 199959.74\यूएसडी

ईयूपीडी प्रणाली द्वारा जेड 8 जेआर/क्लोज्ड केस 3105-

03 नव/22-नव-06 07:11

ईएटीटी द्वारा जेड 8 जेआर / क्लोज्ड केस 3105-

03 नव/06/22-नव-06 08:28

आईआईडी के साथ संलग्न : 3105-03 नव 06"

16. बैंक ऑफ अमेरिका ने बदले में दिनांक 3.11.2006 को एसबीआई, एफडी, कोलकाता को बुलाने का एक सन्देश भेजा, जो इस प्रकार हैः

"टेम्पलेट नाम आरटीएन.-फुल रिकॉल कोर्र टाइप एसडब्ल्यूएफ

क्‍़युएउए नॉर्मल वेरीफाई फ्लैट वाई आईआईडी 3105-03 नव 06 पार्टी नाम

बैंक ऑफ इंडिया

सीईडीआईटी.: स्विफ्ट

:सीएमएपीः एसडब्ल्यूएफएचडीआरटी

:डेस्टः टेम्प आर टी एन-फुलरिकॉलएसडब्ल्यूएफ

क्यूक्यू एनवाईकेओ

. एनवाईसीएस एमटीपीः 199 सीयूआर.: एनओए एएमटीः 0.00

एसबीआईएनआईएनबीबी

एसटीएक्स

ए

: टेक्स्टः एक्स

:20 : बीओए 3105-3 नव 06

:21 : 20061101001256666

: 79 : कृपया हमारा भुगतान वापस करें

तारिख 01-नव.-06

संदर्भ 20061101001256666

भुगतान विवरण नींम प्रकार है, दोहरीकरण की अवहेलना करते हुए

मूल्य तिथि 01-नवंबर-06

राशी 199,959.74 यूएसडी

लाभकारी ग्राहक

मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

आदेश देने वाला ग्राहक अल ज़ारूनी एक्सचेंज

पीईआर

प्रेषण अनुरोध

प्लीज अडवीसे अस दा डेट यू

हेव रिटर्न्ड दा पेमेंट, कोटिंग

ओउर रेफरेंस बीओए 3105-03 नव 06.

सादर

मेनेलेसिया हेनरी

बैंक ऑफ अमेरिका डब्ल्यूटी इन्वेस्टीगेशन

फोन 646.733.4550 फैक्स 212-378-4900"

17. बैंक ऑफ अमेरिका ने तब, एसबीआई, एफडी, कोलकाता से डेबिट प्राधिकरण के आधार पर नोस्त्रो खता संख्या 6550692214 डेबिट किया, जो संचार दिनांक 13.11.2006 से परिलक्षित होता है और इसे इस प्रकार पढ़ा गया है:

"मिड एमओ 61113-000610 करंट लिस्ट स्टेटस आरएटीटीएसीएच टाइप कामिन अटैच्ड आइआइदि 3105-03 नव 06 मेमो क्लोज्ड केस 3105-03 नव 06 नेक्स्ट 13-नव-06

पीसीआरएम 450151

क्यूक्यू पीसीआरएम

आरबीकेएन एमटीपीः 199 सीयूआर.: यूएसडी राशीः 199959.74 एसआरसीः एसडब्ल्यूएफ-

एसडब्ल्यूएफ

सीआरएम

एसटीएक्स टीआरएनः डब्ल्यूटीएक्स/20061113-00045762 (01) **

प्रमाणित सन्देश * *

से:/एमआई.-
61113 बीओएफएयूएस 3 एनबीएक्सएक्सएक्स 5734497703

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया

(विदेशी विभाग)

टाटा सेंटर 43 जवाहरलाल नेहरू रोड

कोलकाता (कलकत्ता), भारत

को:/एमओ-
061113 बीओएफएयूएस 3 एनबीएक्सएक्सएक्स 5734497703

बैंक ऑफ़ अमेरिका एन.ए.ए

न्यूयार्क शाखा

न्यूयॉर्क, एनवाई 10048

(ग्राहक सेवा उपयोग केवल)

तारीखः 061113

:: 199 ग्राहक निःशुल्क रूप से हस्तांतरण करता है

संदेश

: 29 प्रेषक सन्दर्भ.: ई 2/बीओएफए/407/06

: 79 टेक्स्ट:

सन्दर्भ एमटी-199 दिनांक 08 नवंबर 2006 के तहत बैंक ऑफ अमेरिका के अनुरोध के अनुसार हम आपको नोस्ट्रो खाता संख्या 6550692214 से मूल्य सहित डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं। दिनांक: 11 नवंबर 2006, आपके लेन-देन के अंतर्गत 199939.74 अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ, दिनांक 01 नवंबर 2006 को आपके क्रेडिट के बदले में 199939.74 अमेरिकी डॉलर।

सन्दर्भ संख्या 2006110100125666

2. कृपया दोहरीकरण से बचें।

3. धन वापसी का कारणः धन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है

प्रेषक बैंक धन लौटाने का अनुरोध कर रहा है।

4. 20.00 अमेरिकी डॉलर हमारे संचालन शुल्क का प्रतिनिधित्व करती है।

5. कृपया हमारे संदर्भ संख्या का उल्लेख भविष्य के पत्र व्यव्हार के लिए करें

6. आपका सन्दर्भ बीओए 3105-03 नव. 06

एएमआईः 2006111300045762

- 11130251
- डब्ल्यूटीएक्स 2006111300045762-1
- डब्ल्यूएक्सबी670843 11122357
- जीएटीईडब्ल्यवाई\\आईआईडी: 3105-ओसीएनओवी06\मेमोः एसडब्ल्यूएफ

199959.74 अमरीकी डॉलर 199\

एमएसएनः 061113-000363\एएमटीः 1999959 एल.74/अमरीकी डॉलर

-ईयूपीडी प्रणाली द्वारा जेड 8 जेआर./क्लोज्ड केस 3105-

03 एनओवी06/13-एनओवी-06 02:57

ईएटीटी बाई Z8JR/क्लोज्ड केस 3105-03 नव 06/14-

नव-06 09.17

आईआईडी से संलग्नः 3105-03 नव 06"

18. उपरोक्त संचार स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि एसबीआई, एफडी, कोलकाता ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ एक नोस्ट्रो खाता संख्या 6550692214 बना रखा है। यह बैंक ऑफ अमेरिका के डेबिट प्राधिकरण पर

था, एसबीआई, एफडी, कोलकाता ने अपने नोस्ट्रो खाते से 199,939.74 अमेरिकी डॉलर की राशि हस्तांतरण की।

अंतरराष्ट्रीय निधि हस्तांतरण

19. एक अंतरराष्ट्रीय निधि हस्तांतरण या तो भुगतानकर्ता या भुगतानकर्ता के बैंक, या दोनों बैंकों के साथ होता है, जो हस्तांतरण की मुद्रा के अलावा किसी अन्य देश में स्थित होते हैं। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय निधि हस्तांतरण ऋण अंतरण होते हैं और वे घरेलू ऋण हस्तांतरण के समान तरीके से काम करते हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय ऋण अंतरण में आम तौर पर संवाददाता (मध्यस्थ) बैंकों का अधिक उपयोग शामिल होता है। इसके अलावा, घरेलू ऋण हस्तांतरण के विपरीत, एक अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण एक से अधिक कानून के अधीन हो सकता है। हस्तांतरण में प्रत्येक खाता संबंध उदाहरण के लिए, भुगतानकर्ता और उसके अपने बैंक, भुगतानकर्ता के बैंक और संवाददाता बैंक, संवाददाता और आदाता के बैंक और आदाता के बैंक और आदाता के बीच - अपने स्वयं के लागू कानून के अधीन हो सकता है जो प्रत्येक मामले में अंतर्निहित दायित्व को नियंत्रित करने वाले कानून से अलग हो सकता है।

20. अंतर्राष्ट्रीय निधि अंतरण में, प्रत्येक भुगतान संदेश, चाहे भुगतानकर्ता और उसके बैंक के बीच, प्राप्तकर्ता और उसके बैंक, या स्वयं बैंकों के बीच, मौखिक रूप से, लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से

संप्रेषित किया जा सकता है। अतीत में, विदेशी या सीमा पार अंतर-बैंक भुगतान संदेश एयरमेल, टेलीग्राम या टेलेक्स द्वारा भेजे जाते थे, जबकि अब अधिकांश बैंक स्विफ्ट द्वारा संचालित दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके अपने विदेशी, या सीमा पार समकक्षों के साथ संवाद करते हैं।

21. अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर या तो ऑनशोर या ऑफशोर हो सकता है। स्थानांतरण ऑनशोर होगा जहां या तो भुगतानकर्ता का बैंक या भुगतानकर्ता का बैंक ट्रांसफर की मुद्रा के देश में स्थित है और ऑफशोर होगा जहां कोई भी बैंक ट्रांसफर की मुद्रा के देश में स्थित नहीं है।

[बैंक भुगतानों के कानून से-तीसरा संस्करण (माइकल ब्रिंडल रेमंड कॉक्स) स्वीट एंड मैक्सवेल, 2004]

22. एसबीआई विदेश विभाग, कोलकाता, वैश्विक व्यापार के लेन-देन के लिए विभिन्न विदेशी बैंकों के साथ कई नोस्ट्रो खाते रखता है। नोस्ट्रो खाता एक विदेशी खाता है जो किसी घरेलू बैंक द्वारा विदेशी बैंक में या बैंक की अपनी विदेशी शाखा में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में रखे गए खाते, बैंक ऑफ अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक का नोस्ट्रो खाता है।

23. मौजूदा मामले में, एसबीआई, एफडी, कोलकाता ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ एक नोस्ट्रो खाता खोला है, एक खाता जो एक बैंक के

लिए नोस्ट्रो है, दूसरे के लिए वोस्ट्रो है। तो जब, भारतीय स्टेट बैंक, एफडी, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ एक नास्ट्रो खाता खोलता है, तो यह भारतीय स्टेट बैंक के लिए वोस्ट्रो है और बैंक ऑफ अमेरिका के लिए नोस्ट्रो है।

<u>नोस्ट्रो और वोस्ट्रो खाते :</u>

24. यह बैंकिंग सिद्धांत उपरोक्त उल्लिखित पुस्तक में अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है और हम उसी को इस प्रकार उधृत करेंगे:

"(क) ऑनशोर हस्तांतरण

जहां स्थानांतरण ऑनशोर है, भुगतानकर्ता का बैंक और भुगतान प्राप्त करता बैंक पत्राचार हो सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ खाता रखता है, जिससे उनके बीच द्विपक्षीय समझोते की अनुमति मिलती है। ऐसे मामलों में, नोस्ट्रो खाता आमतौर पर विदेशी मुद्रा में और वोस्ट्रो खाता घरेलू मुद्रा में अंकित किया जाता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, जहां एक लंदन बैंक न्यूयॉर्क बैंक में अमेरिकी डॉलर खाता रखता है, वह खाता लंदन बैंक की किताबों पर नोस्ट्रो और न्यूयॉर्क बैंक की किताबों पर वोस्ट्रो होगा। संवाददाताओं के बीच अंतर-बैंक भुगतान भुगतानकर्ता के बैंक की किताबों में खाते में क्रेडिट और भुगतान लेने वाले के बैंक की किताबों में खाते में डेबिट के रूप में दिखाई देगा। न्यूयॉर्क बैंक से लंदन बैंक को अमेरिकी डॉलर के भुगतान के मामले में, न्यूयॉर्क बैंक

वोस्ट्रो खाते को क्रेडिट करता है और लंदन बैंक नोस्ट्रो खाते को डेबिट करता है, लेकिन जहां अमेरिकी डॉलर का भुगतान लंदन बैंक से न्यूयॉर्क को होता है बैंक, लंदन बैंक नोस्ट्रो खाते को क्रेडिट करता है और न्यूयॉर्क बैंक वोस्ट्रो खाते को डेबिट करता है। इन अमेरिकी डॉलर हस्तांतरणों में क्रेडिट शेष की गतिविधि को इस प्रकार चित्रित किया जा सकता है:

(ख) पत्राचार बैंकों के बीच खाता हस्तांतरण

(क) न्यूयॉर्क से लंदन में अमेरिकी डॉलर का हस्तांतरण

न्यूयॉर्क .... लंदन

अमेरिकी डॉलर खाता	अमेरिकी डॉलर खाता
"वोस्ट्रो"	“नोस्ट्रो”
क्रेडिट	डेबिट

(ख) लंदन से न्यूयॉर्क में अमेरिकी डॉलर का हस्तांतरण

लंदन .... न्यूयॉर्क

अमेरिकी डॉलर खाता   अमेरिकी डॉलर खाता

"वोस्ट्रो"	“नोस्ट्रो”
डेबिट	क्रेडिट

जहां भुगतानकर्ता का बैंक और आदाता का बैंक का पत्राचार नहीं हैं, वहां कम से कम एक पत्राचार बैंक की सेवाएं लेना आवश्यक होगा। जहां धन विदेश में स्थित भुगतानकर्ता के बैंक से मुद्रा के देश में स्थित आदाता के बैंक में स्थानांतरित किया जाता है, भुगतानकर्ता का बैंक आदाता के बैंक में धन हस्तांतरित करने के लिए मुद्रा के देश में एक पत्राचार बैंक को नियुक्त करेगा। आमतौर पर, स्थानीय पत्राचार और आदाता के बैंक के बीच स्थानांतरण स्थानीय समाशोधन प्रणाली के माध्यम से होगा, लेकिन जहां भुगतानकर्ता का बैंक और आदाता का बैंक एक ही स्थानीय पत्राचार का उपयोग करते हैं। स्थानांतरण स्थानीय पत्राचार की पुस्तकों पर खाता समायोजन के माध्यम से होगा। जहां मुद्रा के देश में स्थित भुगतानकर्ता के बैंक से विदेश में स्थित आदाता के बैंक में धनराशि हस्तांतरित की जाती है, भुगतानकर्ता का बैंक आदाता के बैंक के स्थानीय पत्राचार को धनराशि हस्तांतरित करेगा, आमतौर पर स्थानीय समाशोधन प्रणाली के माध्यम से और वह पत्राचार आदाता के बैंक में स्थानांतरण को पूरा करेगा।

25. हम, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, विवक के इस बिंदु की जांच कर सकते हैं। अपीलार्थी, जैसा कि पहले ही

संकेत दिया गया है, अब्दुल जफर गुलाम (आयातक) को माल निर्यात करता था। अपीलार्थी कई वर्षों से भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखा के साथ बैंकिंग करता था। अपीलार्थी सीधे माल का निर्यात करता था और भारतीय स्टेट बैंक को दस्तावेज प्रस्तुत करता था और भुगतान का दावा करना और निर्यात लाभ का दावा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को लेनदेन की रिपोर्ट करना बैंक का काम था। तत्काल मामले में, एसबीआई, एफडी, कोलकाता के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि 25.8.2006 को, अपीलार्थी ने एक चालान संख्या एमवी/028/08/2006 जरी इया था और मोजाम्बिक, नाइजीरिया में आयातक को सीधे माल को भेज दिया था और इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक,विदेशी शाखा, मुंबई के पास दस्तावेज जमा कराए। अपीलकर्ता ने 2.11.2006 को "स्मार्ट स्क्रीन रिकॉन्सिलिएशन" (एसबीआई बैंक ऑफ अमेरिका से प्राप्त एसएसआर सॉफ्टवेयर/स्विफ्ट मैसेज में क्रेडिट प्रविष्टि की पेशकश करता था, जो समय-समय पर स्टेट बैंक के विदेश विभाग, कोलकाता द्वारा उनके साथ रखे गए विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग वाले नोस्ट्रो खातों में राशि जमा करता था) में मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (अपीलकर्ता) के नाम पर 199,959.74 अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट देखने के लिए एसबीआई, विदेशी शाखा, मुंबई को निर्यात बिलों की एक प्रति जमा की और सद्भावना पूर्वक उपर्युक्त राशि को उसी तारीख अर्थात 2.11.2006 को अपीलार्थी के खाते में जमा कर दिया गया।

26. एसबीआई विदेश विभाग, कोलकाता को 199,959.74 अमेरिकी डॉलर प्रेषण सलाह के साथ बैंक ऑफ अमेरिका के नोस्ट्रो खाते में प्राप्त हुए, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा धन के वास्तविक हस्तांतरण की सलाह देने वाला स्विफ्ट संदेश "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई" के बजाय "बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई" में चला गया था। बैंक ऑफ़ अमेरिका ने अपने विवरण में, इस फैसले के पहले भाग में संदर्भित, क्रेडिट को सही ढंग से सूचित किया था, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखने में गलती या तो बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशनल बैंक, लंदन, एएल ज़ारून एक्सचेंज या आयातक के स्तर पर हुई होगी, लेकिन, निश्चित रूप से, एसबीआई, एफडी, कोलकाता या एसबीआई, मुंबई के स्तर पर नहीं थी। बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ़ अमेरिका और एसबीआई,एफडी, कोलकाता को सूचित किया था कि अपीलार्थी के नाम पर उनका कोई खाता नहीं है। नतीजतन, बैंक ऑफ़ अमेरिका ने 9.11.2006 को धन वापस ले लिया और 13.11.2006 को भारतीय स्टेट बैंक के नोस्ट्रो खाते से उक्त राशि की वसूली की। चूंकि नोस्ट्रो खाता एसबीआई, एफडी, कोलकाता द्वारा कानूनी रूप से बैंक ऑफ अमेरिका के साथ खाता संख्या 006550692214 पर रखा गया है, इसलिए एसबीआई एफडी, कोलकाता के पास बैंक ऑफ अमेरिका को धनराशि वापस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि बैंक ऑफ़ अमेरिका द्वारा राशि वापस ले ली गई थी, क्योंकि यह प्रेषक था।

27. हालांकि, एसबीआई. की विदेशी शाखा, मुंबई, ने एक गलती की जब अपीलार्थी ने उसे निर्यात बिलों की प्रतियां प्रस्तुत की थीं। एसबीआई विदेशी शाखा, मुंबई, ने स्मार्ट स्क्रीन रिकॉन्सिलिएशन" (एसएसआर सॉफ्टवेयर मुंबई) में मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (अपीलार्थी) के नाम पर 199,959.74 अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट देखने के बाद स्पष्ट रूप से सद्व्हावना के साथ उक्त राशि को मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में जमा कर दिया, जो बैंक ऑफ इंडिया के लिए था। बैंक ऑफ इंडिया के पास मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई खाता नहीं था। इसलिए उस बैंक ने बदले में बैंक ऑफ अमेरिका और साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को सूचित किया था। नतीजतन, बैंक ऑफ अमेरिका ने 9.11.2006 पर धन राशि वापस ले ली और 13.11.2006 को बैंक ऑफ़ अमेरिका के लिए बनाये गए भारतीय स्टेट बैंक के नोस्ट्रो खाते से उक्त राशि की वसूली की। दूसरे शब्दों में, 199,959.74 अमेरिकी डॉलर की राशि किसी भी समय कोलकाता या मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक के खाते में कभी नहीं आई थी । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह राशि बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका के लिए बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक के नोस्ट्रो खाते में जमा की गई थी और बैंक ऑफ अमेरिका ने यह राशि "बैंक ऑफ इंडिया ए/सी मेट्रो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड" के खाते में जमा की थी, एसबीआई, एफडी, कोलकाता या मुंबई के क्रेडिट में नहीं। निस्संदेह, एसबीआई ओवरसीज शाखा, मुंबई ने अपीलकर्ता के खाते में राशि जमा करने में गलती की होगी। यह सच हो सकता है कि एसबीआई विदेशी

शाखा, मुंबई या एसबीआई विदेश विभाग, कोलकाता का 199,959.74 अमेरिकी डॉलर पर कोई नियंत्रण नहीं था, जो बैंक ऑफ अमेरिका के लिए एसबीआई, एफडी, कोलकाता द्वारा बनाए गए नोस्ट्रो खाते में पड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसबीआई की विदेशी शाखा, मुंबई ने दो साल से अधिक की अवधि के बाद , 29.10.2009 को अपीलार्थी के खाते से 1.36 लाख यूरो डेबिट करने और 94 लाख रुपये प्राप्त करने में सही था, मूल्यवान समय बर्बर दर दिया यही बैंक के कोई गलती है तो अपीलार्थी को राशि की वसूली के लिए आयातक के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी।

28. निस्संदेह, बैंक को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 72 के अनुसार किसी गलती के तहत भुगतान की गई धनराशि की वसूली का अधिकार है, जो इस प्रकार है:

"72. उस व्यक्ति का दायित्व जिसे गलती से या दबाव के तहत या धोखाधड़ी आदि के परिणामस्वरूप पैसे का भुगतान या वस्तु वितरित की गई है।

जिस व्यक्ति को पैसे का भुगतान किया गया है, या कोई चीज़ गलती से (चाहे तथ्य या कानून के कारण) या दबाव के तहत वितरित की गई हो, या जो धोखाधड़ी या गलत बयानी या अनुचित प्रभाव के प्रयोग से ऐसा भुगतान या डिलीवरी प्राप्त करता है, उसे चुकाना होगा या यह वापस करना होगा।"

29. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड बनाम अत्तार-उल-निसा और अन्य ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 540। में इस न्यायालय का एक फैंसले को हमारे संज्ञान में लाया है। उस मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि यदि कोई तीसरा पक्ष गलती से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसा जमा कर देता है, तो जैसे ही पैसा ऐसे तीसरे व्यक्ति के खाते में जमा किया जाता है, जो बैंक का ग्राहक है, तो पैसा ग्राहक का पैसा बन जाता है और ऐसे परिस्थितियों में, ग्राहक की सहमती प्राप्त किये बिना, उसके खाते में किए गए क्रेडिट की प्रविष्टि को उलटना और प्रभावी रूप से उस व्यक्ति को पैसा वापस करना बैंक के लिए खुला नहीं है जिसने जमा किया था, भले ही यह गलती से जमा हो गया हो । इस संबंध में, हम यूनाइटेड ओवरसीज बैंक बनाम जिवानी (1977) 1 एआईआई ईआर 733 में एक निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें प्रतिवादी का स्विट्जरलैंड में एक खाता था जिसमें 11000 अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट था। प्रतिवादी का इरादा निवेश के रूप में एक होटल खरीदने का था। स्विट्जरलैंड में बैंकरों ने प्रतिवादी के कहने पर टेलेक्स द्वारा लन्दन के बैंकरों को 11000 अमेरिकी डॉलर भेजे और टेलेक्स की पुष्टि करने वाली एक सलाह भी भेजी। लंदन बैंक द्वारा गलती से प्रतिवादी को 11000 अमेरिकी डॉलर की दो राशि जमा कर दी गई। बाद में, जब प्रतिवादी ने इसके खाते में शेष के बारे में पूछताछ की, तो यह लगभग 32000 अमेरिकी डॉलर दिखाया गया। प्रतिवादी ने लन्दन बैंकर्स की राशि से एक होटल खरीदा। तथ्य प्रकट होंगे, लेकिन दिखाए गए

इस खाते शेष के लिए वह होटल खरीदने में सक्षम नहीं होता। बैंकरों ने अपनी गलती सुधार ली। नतीजतन, प्रतिवादी के विरुद्ध 9000 अमेरिकी डॉलर का डेबिट शेष था। वादी बैंक ने ओवरड्राफ्ट के पैसे की मांग की। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादी के खाते में जमा किया गया अतिरिक्त धन तथ्य की गलती के तहत हुआ था और बैंक इसे वसूलने का हकदार था।

30. आर.ई. जोन्स लिमिटेड बनाम वारिंग एंड गिलो लिमिटेड (1926) एसी 670 में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने केली बनाम सोलारी (1841) 9 मेगावाट 54 के सिद्धांत को बरकरार रखा यह कहते हुए कि चाहे भुगतानकर्ता कितना ही लापरवाह क्यों न हो और चाहे वह किसी भी चूक का दोषी क्यों न हो, यदि उसने तथ्य की गलती के तहत पैसे का भुगतान किया है तो वह पुनर्प्राप्त करने का हकदार है, बशर्ते कि गलती न करने के लिए भुगतानकर्ता के प्रति उसका कोई कर्तव्य न हो। थॉमस अब्राहम और छह अन्य बनाम नेशनल टायर एंड रबर कंपनी, कोट्टायम (1973) 3 एससीसी 458 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कानून में पैसे चुकाने की बाध्यता निहित है जो एक अन्यायपूर्ण लाभ है।

31. हमारा विचार है कि भले ही बैंक द्वारा गलती से अपीलार्थियों के खाते में राशि जमा की गई हो, सवाल यह है कि क्या, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, बैंक को अपीलकर्ताओं के खाते पर ग्रहणाधिकार

चिह्नित करना उचित है, जिससे भुगतान की गई राशि का एहसास हो सके। जैसा कि पहले ही कहा गया है, बैंक ने 2.11.2006 को अपीलकर्ताओं के ईईईसी खाते में राशि जमा कर दी थी और जहां तक अपीलकर्ताओं का सवाल है, आयातक के खिलाफ उनका दावा संतुष्ट था, क्योंकि यह लेनदेन की श्रृंखला का हिस्सा था। सवाल यह है कि क्या बैंक, दो साल से अधिक समय बीतने के बाद, यानी 6.3.2009 को, अपीलकर्ताओं के ईईएफसी खाते पर ग्रहणाधिकार चिह्नित कर सकता है और बाद में कुल मिलाकर यूरो की राशि 1,36,027 को 29.10.2009 को डेबिट प्रविष्टि करके राशि प्राप्त कर सकता है।

32. इस मामले में, तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं, जहां तक आयातक का संबंध है, उसने पहले ही राशि का भुगतान कर दिया था और और एसबीआई, विदेश विभाग, कोलकाता को एसबीआई, ओवरसीज शाखा, मुंबई के बजाय बैंक ऑफ इंडिया को प्रेषण सलाह के साथ बैंक ऑफ अमेरिका के नोस्ट्रो खाते में राशि प्राप्त हुई थी। अपीलकर्ता को 2.12.2006 को एसबीआई द्वारा 199,959.74 अमेरिकी डॉलर के निर्यात संग्रह सलाह के बारे में भी सूचित किया गया और अपीलकर्ता को राशि प्राप्त हुई। हो सकता है कि बैंक ने गलती की हो, लेकिन अब अपीलकर्ता के लिए आयातक से राशि वसूल करना असंभव होगा, क्योंकि जहां तक आयातक का सवाल है, उसने राशि का भुगतान कर दिया है। यदि एसबीआई, ओवरसीज शाखा ने राशि का क्रेडिट नहीं दिया होता, तो, अपीलकर्ता जल्द से जल्द अवसर पर

आयातक के खिलाफ आगे बढ़ सकता था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता को बैंक द्वारा की गई गलती के लिए भुगतना चाहिए, जिसके लिए हमारा उत्तर नकारात्मक में है।

33. ऐसी परिस्थितियों में, हम अपील की स्वीकार करने और उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करने और अपीलार्थी को रिट याचिका में मांगी गई राहत देने के इच्छुक हैं। बैंक को आज से एक महीने के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि एस. बी. आई. के लिए खुला है कि वह बैंक ऑफ अमेरिका या बैंक ऑफ़ इंडिया या किसी अन्य संस्था के साथ मामले का पालन करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग कर सके, जो विषय राशि के नियंत्रण की प्राप्ति में है और राशि की वसूली करती है, यदि राशि अभी भी उपलब्ध है, जिसके लिए, निश्चित रूप से, अपीलार्थी कोई आपत्ति नहीं उठा सकता है।

34. उपरोक्त अनुसार अपील स्वीकार की जाती है, हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बिभूति भूषण बोस

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से **अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता** द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****